

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुभीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

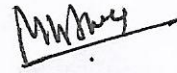


अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2555/III(2)/06-41(प्रा०आ०)/2006 दिनांक 26-09-2006 के द्वारा प्राप्त हुयी है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी मान्य है।



अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

टी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 26 सितम्बर, 2006

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 132(एक सौ बत्तीस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 132 कार्यों के रूपये 15401.63 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 14550.29 लाख (रूपये एक सौ पैंतालीस करोड़ पचास लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू० 1.32 लाख (रू० एक लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त प्रयो जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

कार्यदायो सस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शा०सं०-452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय-2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
रुख्मीमठ (रुद्रप्रयाग)

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु 10% का अर्जन कर के कब्जा लेने का धाद है। का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का अहरेण किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेंडर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिचय -04 जिला तथा अन्य सड़क-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-621/XXVII(2)/2006 दिनांक 22 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:- 132 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)

संयुक्त सचिव

अधीक्षक अभियन्ता

7 वाँ वृत्त लो० जि० वि०

गोपेश्वर (बमोली)

संख्या-255(1)/III-2/06 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमायू/गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोडा/पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक।

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

अधीक्षक अभियन्ता

7 वाँ वृत्त लो० वि०

अधीक्षक (बमोली)

(टी० के० पन्त)

संयुक्त सचिव।

पृ० सं०-1865/20 घाटा (क) 06 दि० 30.9.06

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र लो.नि.वि० पौड़ी/अल्मोडा।
2. अधिधिक/लेखा कार, मु० भा० स्वर-1, लो० वि० देहरादून।
3. गार्ड पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

107.	गौघर सिंदोली मोटर मार्ग के दुगड़डा से हा0 स्कूल बरतोली तक मार्ग निर्माण	2.00	33.60	33.60	0.01
108.	बी.एम.बी. मोटर मार्ग कस्बी नगर तक विस्तार	2.00	33.60	33.60	0.01
109.	सीरी-सल्याणा-नैल-खांकर मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	53.77	50.40	0.01
110.	दिवालीखाल-भराडीसेण का डामरीकरण	4.00	81.60	81.60	0.01
111.	मसतुरा से दिलमी-करोखी मार्ग निर्माण	4.00	57.60	57.60	0.01
112.	नागजाई फेगु बरमाडी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित	4.00	289.50	289.50	0.01
113.	त्रियुगीनारायण-तौसी मार्ग निर्माण सेतु सहित	6.00	148.80	148.80	0.01
114.	द्वाराहाट में गगास नदी पर सिलिंग सेरा (दयाफेरा) नामक स्थान पर झूला पुल	50मी0	72.00	72.00	0.01
115.	द्वाराहाट में गगास नदी पर सांगडी (घमरेत) नामक स्थान पर आर.सी.सी. पैदल पुल	20मी0	25.00	25.00	0.01
116.	कोलागढ़ मसन्दावाला मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार		90.50	90.00	0.01
117.	नगरपालिका काशीपुर क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों में नाली व सड़क निर्माण (मा0म0म0घो0)		106.04	105.00	0.01
118.	चौरा-कमद-पढाई-बासतोली मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित	12.00	310.40	258.96	0.01
119.	चायखान से धारखोला मोटर मार्ग का नव निर्माण द्वितीय चरण	3.00	70.96	51.23	0.01
120.	धुर्मा से कुण्डी मोटर मार्ग एवं मोक्ष नदी पर सेतु निर्माण सेतु सहित	4.00+ 38मी0	122.10	122.10	0.01
121.	ज्वारना से बंगियाला मोटर मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण	17.00	294.48	294.48	0.01
122.	जंगलघट्टी से सिराणा तक मार्ग निर्माण सेतु सहित	6.00+ 15मी0	120.50	120.50	0.01
123.	बंजारावाला में मधुरविहार की गलियों का पक्कीकरण	600मी0	14.52	14.50	0.01
124.	असनोली-ओणी-खण्डाह मोटर मार्ग का कोठार तक विस्तार	7.00	120.75	120.75	0.01
125.	नगरोडा से हरिनन्दा मंदिर तक मोटर मार्ग का घौनखोला तक विस्तार	2.00	35.60	35.60	0.01
126.	देवस्थल कनालीछीना मोटर मार्ग के किमी0 4 से 13 तक पुनः निर्माण एवं सुधार	9.00	176.00	176.00	0.01
127.	विधासभा बाईपास मार्ग से दून विश्वविद्यालय परिसर तक निर्माणधीन मार्ग का मोथरोवाला तक विस्तार		37.40	36.00	0.01
128.	बद्रीपुरा काठगोदाम में कलसिया नाले के उपर पैदल सेतु एवं सम्पर्क मार्ग	20मी0	26.70	23.75	0.01
129.	हरजौली झोजा में आर.सी. सी. पैदल पुल का निर्माण	15 मी0	21.20	21.00	0.01
130.	इकबालपुर में विभिन्न मार्गों का सी.सी. में परिवर्तन	-	235.80	235.80	0.01
131.	देहरादून में चन्द्रबनी में सेवलाकला-माजरा की मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण	100मी0	2.47	2.45	0.01
132.	जुगस्थारा के मंदराकोट व बसन्त कोट ग्राम के निकट गौरी नदी पर झूला पुल का सुरक्षात्मक कार्य	70मी0	3.33	3.13	0.01
	कुल योग		15401.63	14550.29	1.32

(रूपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र)

(टी0 पी0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)